Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्यायालय संभागीय आयुक्त	मुकाम	कोटा
श्रीमति मधु सुवालका पत्नी अरूण सुवालका जाति कलाल निवासी 322 लाडपुरा कोटा जरिये मुख्तार आम अरूण सुवालका पुत्र सोहनलाल निवासी 322 लाडपुरा कोटा		बनाम	नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास सीएडी सर्किल कोटा
किस्म मुकदमा	अपील अन्तर्गत धारा 91 (2) नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959	केस नं0	9/2020

जिला–कोटा

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.2.2020	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री राजेन्द्र कुमार माथुर के अपील अन्तर्गत धारा 91 (2) नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 के अन्तर्गत विरूद्ध रेस्पो0 के इस न्यायालय मे पेश की है। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया तथा बहस एडमिशन अभिभाषक अपीलार्थी सुनी गई। न्यायालय तहसीलदार एवं अतिक्रमण निरोधक अधिकारी नगर विकास न्यास कोटा द्वारा जेरअपील आदेश राज0 नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 90 व 90 (ए) व 91 (बी), 91 (सी) तथा 92, 92–ए के अन्तर्गत पारित किया गया है। राज0 नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 92, 92–ए के तहत पारित आदेश की अपील की सुनवाई का श्रृवणाधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को नही होकर नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 92 (12) के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश को प्रदत्त होने से मूल अपील सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर बाद तामील तकमील अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय मे पेश करने हेतु लौटाई जावे। (एल.एन.सोनी) संभागीय आयुक्त कोटा	